केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

प्रक्रिया : देश के भीतर दत्तक-ग्रहण

(अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे)

(ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

01 भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना और 30 दिनों के भीतर दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI भाग–1)।

02 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 60 दिनों के भीतर भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) तैयार करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना (अनुसूची VII)।

03 भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को बच्चे का ऑनलाइन रेफरल भेजा जाएगा, जिसे वे 48 घंटों के भीतर आरक्षित कर सकते हैं।
{भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) इन 3 टैब से बच्चे सीधे तौर पर आरक्षित कर सकते हैं : (i) तत्काल प्लेसमेंट (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (iii) भारतीय निवासी (RI) /अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) के लिए 7 दिन}

04 दत्तक-ग्रहण समिति की बैठक : आरक्षित किए गए बच्चे के साथ भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की उपयुक्तता का आकलन करना। बैठक का कार्यवृत्त अनुसूची XXVII के अनुसार तैयार किया जाना।

05 बच्चे को आरक्षित करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का आरक्षित बच्चे से मिलान एवं उनके द्वारा बच्चे को स्वीकृत किया जाना। दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) : भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा बच्चे को अपने साथ ले जाना (अनुसूची VIII)

06 विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा 5 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण के आवेदन को दाखिल करना और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 5 दिनों के भीतर उसकी जांच करना (अनुसूची IX भाग–1 और अनुसूची XXVIII)।

07 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)। जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

08 दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) की तिथि से 2 वर्ष तक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई (अनुसूची XII)।

❖ ❖ ❖

संदर्भ: दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय III
अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]
CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]
ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: https://cara.wcd.gov.in, CARINGS: https://carings.wcd.gov.in

PROCEDURE : IN-COUNTRY ADOPTION

(ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

01 Registration by PAPs on Designated Portal & uploading of documents within 30 days (Schedule VI Part-1)

02 Home Study of PAPs by SAA/ DCPU within 60 days & uploading the same on portal (Schedule VII)

03 Online referral of child to PAPs which is to be reserved by PAPs within 48 hours. {PaPs can also reserve child directly through Immediate Placement/Special Needs/ Seven Days for RI/NRI/OCI PAPs Tab}

04 Adoption Committee Meeting: Assessment of suitability of PAPs with the child reserved. Minutes of the meeting as per Schedule XXVII

05 Matching of reserved child & acceptance by PAPs on Portal within 30 days from date of reservation of child.
PAFC - Physical Custody of Child (Schedule VIII)

06 Filing of Adoption Application by SAA within 5 days & scrutiny by DCPU within 5 days (Schedule IX Part-1 & Schedule XXVIII)

07 DM issues Adoption Order within 60 days (Schedule XXXIII).
DCPU uploads Adoption Order on Portal

08 Post Adoption Follow-up by SAA/DCPU for 2 years w.e.f. the date of PAFC (Schedule XII)

❖ ❖ ❖

Reference: Chapter III of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PAFC: Pre-Adoption Foster Care | DCPU: District Child Protection Unit | DM: District Magistrate
NRI: Non-Resident Indian | OAS: Orphan, Abandoned or Surrendered | OCI: Overseas Citizen of India
PAP: Prospective Adoptive Parents | SAA: Specialised Adoption Agency

प्रक्रिया : अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण

(अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे)

(ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

01 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA)/ केंद्रीय प्राधिकरण (CA)/ भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI), भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) और विदेशी भावी दत्तक माता–पिता (Foreign PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) और उनका अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना।

02 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA)/ केंद्रीय प्राधिकरण (CA)/ भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI भाग 2)

03 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) के दस्तावेजों की जांच करना और उनका अनुमोदन करना।

04 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA)/ केंद्रीय प्राधिकरण (CA)/ भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) के माध्यम से भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) को बच्चे का ऑनलाइन रेफरल भेजा जाएगा, जिसे 96 घंटे के भीतर आरक्षित और 30 दिनों भीतर स्वीकार किया जा सकता है।
{भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA)/ केंद्रीय प्राधिकरण (CA)/ भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) के माध्यम से इन 3 टैब के द्वारा बच्चों को सीधे तौर पर आरक्षित कर सकते हैं : (i) तत्काल प्लेसमेंट (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (iii) भारतीय निवासी (RI) /अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों (OCI) के लिए 7 दिन}

05 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA)/ केंद्रीय प्राधिकरण (CA)/ भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना।

06 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 10 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करना, बशर्ते सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो चुके हों (अनुसूची X)

07 विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा 5 दिनों के भीतर दत्तक–ग्रहण के आवेदन को दाखिल करना और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 5 दिनों के भीतर उसकी जांच करना।
(अनुसूची IX भाग–2 और अनुसूची XXIX)

08 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक–ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)।
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक–ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

09 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 3 दिनों के भीतर पुष्टि प्रमाण–पत्र (Conformity Certificate) जारी करना (अनुसूची XI)।

10 बच्चे के लिए पासपोर्ट और निकास वीज़ा।

11 प्राप्तकर्ता देश में बच्चे के आने की तिथि से 2 वर्ष तक प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA)/ केंद्रीय प्राधिकरण (CA)/ भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई (अनुसूची XII)।

संदर्भः दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय IV

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PROCEDURE : INTER-COUNTRY ADOPTION

(ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

01 **Home Study & registration of NRI, OCI & Foreign PAPs on Designated Portal by AFAA/CA/IDM**

AFAA/CA/IDM uploads documents on Portal (Schedule VI- Part 2) 02

03 **Scrutiny of documents & approval of PAPs by CARA**

Online referral of the child to PAPs through AFAA/CA/IDM and the child to be reserved within 96 hours & accepted within 30 days on the Portal.
{PAPs through AFAA/CA/IDM can also reserve child directly through Immediate Placement/ Special Needs/ Seven Days for RI/NRI/OCI PAPs Tab} 04

05 **AFAA/CA/IDM uploads documentsas per Article 5/17 of Hague Convention.**

CARA issues NOC within 10 days subject to receiving of requisite documents (Schedule X) 06

07 **Filing of Adoption Application by SAA within 5 days & scrutiny by DCPU within 5 days (Schedule IX Part-2 & Schedule XXIX)**

DM issues Adoption Order within 60 Days (Schedule XXXIII).
DCPU uploads Adoption Order on Portal 08

09 **CARA issues Conformity Certificate within 3 days (Schedule XI)**

Passport & Exit Visa for the child 10

11 **Post-Adoption Follow-up by AFAA/CA/IDM for 2 years w.e.f. the date of arrival of child in receiving country (Schedule XII)**

❖ ❖ ❖

Reference: Chapter IV of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

AFAA: Authorised Foreign Adoption Agencies | CA: Central Authority | CARA: Central Adoption Resource Authority
DCPU: District Child Protection Unit | DM: District Magistrate | IDM: Indian Diplomatic Mission
NOC: No Objection Certificate | NRI: Non-Resident Indian | OAS: Orphan, Abandoned or Surrendered
OCI: Overseas Citizen of India | PAPs : Prospective Adoptive Parents | SAA: Specialised Adoption Agency

प्रक्रिया : देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण

01 भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना और दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI भाग 4)

02 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पोर्टल पर पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ सत्यापन अपलोड करना (अनुसूची XXI)

03 राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) द्वारा आवेदन को फिर से सत्यापित करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना।

04 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनुमोदन–पूर्व पत्र (Pre-Approval Letter) जारी करना और उसे अपलोड करना (अनुसूची XXV प्रारूप–1)

05 भावी दत्तक माता–पिता (PAP) द्वारा (जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से) दत्तक–ग्रहण का आवेदन दाखिल करना (अनुसूची IX भाग–4 और अनुसूची XXX)

06 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक–ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII) जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक–ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

❖ ❖ ❖

संदर्भः दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 का विनियम 54

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PROCEDURE : IN-COUNTRY RELATIVE ADOPTION

01 Registration by PAPs on Designated Portal and uploading of documents (Schedule VI- Part 4)

02 DCPU uploads verification along with Family Background Report on Portal (Schedule XXI)

03 SARA re-verifies application and uploads it on Portal

04 CARA issues & uploads Pre-Approval Letter (Schedule XXV Format-1)

05 The PAPs (through DCPU) file adoption application (Schedule IX Part-4 & Schedule XXX)

06 DM issues Adoption Order within 60 days (Schedule XXXIII). DCPU uploads Adoption Order on Portal.

❖ ❖ ❖

Reference: Regulation 54 of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CARA: Central Adoption Resource Authority | DCPU: District Child Protection Unit | DM: District Magistrate
PAP: Prospective Adoptive Parents | SARA: State Adoption Resource Agency |

प्रक्रिया : अंतर-देशीय रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण

01 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI) एवं भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) करना और अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर उनका पंजीकरण करना।

02 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज को अपलोड करना (अनुसूची VI भाग–3)।

03 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करना।

04 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पोर्टल पर पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करना (अनुसूची XXI)

05 राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA) द्वारा आवेदन का फिर से सत्यापन करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना।

06 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनुमोदन–पूर्व पत्र (Pre-Approval Letter) जारी करना और उसे अपलोड करना।

07 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5 / 17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना।

08 भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) द्वारा (जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से) दत्तक–ग्रहण का आवेदन दाखिल करना (अनुसूची IX भाग–3 और अनुसूची XXXI)।

09 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक–ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)

10 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) और पुष्टि प्रमाण–पत्र (Conformity Certificate) जारी करना।

11 बच्चे के लिए पासपोर्ट और निकासी वीज़ा।

❖ ❖ ❖

संदर्भः दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 का विनियम 56 से 60

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

Central Adoption Resource Authority

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Women & Child Development, Government of India

PROCEDURE : INTER-COUNTRY RELATIVE ADOPTION

01 **Home Study & Registration of NRI & OCI PAPs by AFAA/CA/IDM**

AFAA/CA/IDM uploads documents on Portal (Schedule VI-Part 3) 02

03 **Initial Scrutiny of documents by CARA**

DCPU uploads verification report along with Family Background Report (Schedule XXI) 04

05 **SARA re-verifies application & uploads it on Portal**

CARA issues and uploads Pre-Approval Letter 06

07 **AFAA/CA/IDM uploads Documents as perArticles 5/17 of Hague Convention.**

PAPs (through DCPU) files Adoption Application (Schedule IX Part-3 & Schedule XXXI) 08

09 **DM issues Adoption Order within 60 Days (Schedule XXXIII)**

CARA issues NOC & Conformity Certificate 10

11 **Passport & Exit Visa for child**

❖ ❖ ❖

Reference: Regulation 56-60 of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

AFAA: Authorised Foreign Adoption Agency | CA: Central Authority | CARA: Central Adoption Resource Authority
DCPU: District Child Protection Unit | Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)
DM: District Magistrate | IDM: Indian Diplomatic Mission | NOC: No Objection Certificate | NRI: Non-Residents of India
OCI: Overseas Citizen of India | PAPs: Prospective Adoptive Parents | SARA: State Adoption Resource Agency

प्रक्रिया : सौतेले माता–पिता द्वारा दत्तक-ग्रहण

01 सौतेले माता–पिता द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना और दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI भाग–5)

02 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा सत्यापन रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना।

03 राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA) द्वारा आवेदन को फिर से सत्यापित करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना।

04 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनुमोदन–पूर्व पत्र (Pre-Approval Letter) जारी करना (अनुसूची XXV प्रारूप–2)।

05 भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) द्वारा (जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से) दत्तक–ग्रहण का आवेदन दाखिल करना (अनुसूची IX भाग–5 और अनुसूची XXXII)

06 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक–ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)। जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक–ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

❖ ❖ ❖

संदर्भः दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 का विनियम 55

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PROCEDURE : ADOPTION BY STEP PARENTS

01 **Registration by Step Parent on Designated Portal & uploading of documents (Schedule VI-Part 5)**

DCPU uploads verification report on Portal 02

03 **SARA re-verifies application and uploads it on Portal**

CARA issues a Pre-Approval Letter (Schedule XXV Format-2) 04

05 **The PAPs (through DCPU) file adoption application (Schedule IX Part-5 & Schedule XXXII)**

DM issues Adoption Order within 60 days (Schedule XXXIII). DCPU uploads Adoption Order on Portal. 06

❖ ❖ ❖

Reference: Regulation 55 of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CARA: Central Adoption Resource Authority | DCPU: District Child Protection Unit | DM: District Magistrate

PAPs: Prospective Adoptive Parents | SARA: State Adoption Resource Agency

फॉस्टर दत्तक-ग्रहण हेतु नियम/चरण

जो बच्चे पहले से पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) में हैं

चरण	अपेक्षित दस्तावेज़
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा फॉस्टर माता–पिता का अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण	1. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड 2. फॉस्टर माता–पिता का जन्म प्रमाण–पत्र 3. निवास का प्रमाण–पत्र 4. आय का प्रमाण 5. माता–पिता की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट 6. विवाह का प्रमाण–पत्र 7. फॉस्टर माता–पिता के जैविक/दत्तक बच्चे/बच्चों की सहमति 8. फॉस्टर माता–पिता का वचनबंध (Undertaking) 9. सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR)
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा बच्चे का अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण	1. चिकित्सा जाँच रिपोर्ट (MER) 2. बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR) 3. दत्तक–ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बच्चा (LFA) 4. बाल कल्याण समिति (CWC) का पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) की व्यवस्था का आदेश 5. फॉस्टर बच्चे की सहमति 6. पिछले महीने की प्रगति रिपोर्ट

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) को प्रस्ताव की अनुशंसा की जाएगी।

राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) द्वारा केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को प्रस्ताव की अनुशंसा की जाएगी।

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) अनुमोदन–पूर्व पत्र (Pre-Approval Letter) जारी करेगा और प्रस्ताव को राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) को भेजेगा।

राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

अंत में जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (DM) को दत्तक–ग्रहण आदेश जारी करने के लिए आवेदन भेजा जाएगा।

❖ ❖ ❖

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PROTOCOL / STEPS FOR FOSTER ADOPTION

FOR CHILDREN ALREADY PLACED IN FOSTER CARE

STEP	DOCUMENTS REQUIRED
Registration of foster Parents by DCPU on Designated Portal	1. PAN Card 2. Birth certificate of foster parents 3. Residence proof 4. Income proof 5. Medical fitness of parents 6. Marriage certificate 7. Consent of biological/adopted child of Foster Parents 8. Foster Parents undertaking 9. Social Investigation Report (SIR)
Registration of child by DCPU on Designated Portal	1. Medical Examination Report (MER) 2. Child Study Report (CSR) 3. Legally Free for Adoption (LFA) 4. CWC foster care placement order 5. Consent of foster Child 6. Last month's progress report

DCPU to recommend the proposal to SARA.

SARA recommends the proposal to CARA

CARA to issue Pre-approval Letter and forward the proposal to SARA

SARA sends the proposal to DCPU.

DCPU finally sends application to DM for adoption order.

❖ ❖ ❖

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CARA: Central Adoption Resource Authority | SARA: State Adoption Resource Agency
DM: District Magistrate | DCPU: District Child Protection Unit | CWC: Child Welfare Committee | SIR : Social Investigation Report
MER : Medical Examination Report | CSR : Child Study Report | LFA: Legally Free for Adoption

हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत गोद लिए गए बच्चों को माता–पिता द्वारा विदेश में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया (17.09.2021 के उपरांत)

01 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI), भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता–पिता (PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) और उनका अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना।

02 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करना।

03 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट को अपलोड करना। (अनुसूची XXI और अनुसूची XXXVI)

04 प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (AFAA)/केंद्रीय प्राधिकरण (CA)/ भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना।

05 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक–ग्रहण विलेख को अपलोड करना।

06 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र (Verification Certificate) जारी करना और उसे अपलोड करना। (अनुसूची XXXV एवं अनुसूची XXXVI)

07 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और पुष्टि प्रमाण–पत्र (Conformity Certificate) जारी करना।

❖ ❖ ❖

संदर्भः दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय VIII (विनियम 64–71)

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

PROCEDURE FOR CHILDREN ADOPTED UNDER HAMA, 1956 BY PARENTS WHO DESIRE TO RELOCATE THE CHILD ABROAD (POST 17.09.2021)

01 **Home Study & registration of NRI/OCI PAPs on Designated Portal by AFAA/CA/IDM**

02 **Initial Scrutiny of documents by CARA**

03 **DCPU uploads Family Background Report (Schedule XXI & Schedule XXXVI)**

04 **AFAA/CA/IDM uploads documents as per Article 5/ 17 of Hague Convention**

05 **DCPU uploads Adoption Deed**

06 **DM issues & uploads Verification Certificate (Schedule XXXV & Schedule XXXVI)**

07 **CARA issues NOC and Conformity Certificate**

❖ ❖ ❖

Reference: Chapter VIII (Regulation 64-71) of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

AFAA - Authorised Foreign Adoption Agency | CA : Central Authority | CARA : Central Adoption Resource Authority
DCPU : District Child Protection Unit | DM : District Magistrate | IDM : Indian Diplomatic Mission |NOC : No Objection Certificate
NRI : Non Resident Indian | OCI : Overseas Citizen of India | PAPs : Prospective Adoptive Parents